रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1990/कार्तिक 8, 1912
No 263] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1990/KARTIKA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 77 आई टी सी (पी एन)/90—93

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1990

विषय : अप्रैल, 1990—मार्च, 1993 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. सं. आई पी सी/4/10(30)/733/79-80/3026—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एम) 90—93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1990—मार्च, 1993 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (खंड-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	53	अध्याय-13 स्टाक और बिक्री की मदें	पैरा 167 में "केवल के निर्यात" शब्दों से आरंभ होने वाले और "उपर्युक्त उद्देश्य" शब्दों से समाप्त होने वाले वर्तमान छटे वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "उक्त प्रयोजन हेतु (1) इलायची (छोटी), (2) मसालों के तेल और ओलियो रेजिन और केसर को छोड़कर 500 ग्राम या इससे कम के

1	2	3	4
			अनुमोदित उपभोक्ता पैकों में सभी मसाले/मसाला उत्पाद, (3) रोजामरी, अजवाइन (थाइम), टेरागॉन, तेल इत्यादि जैसी जड़ी बूटी वाले मसाले, (4) वनिला 5 (5) काला जीरा, (6) स्टार एनीसीड, (7) कोकम, (8) लहसून, (9) इलायची (बड़ी), (10) ब्रिशपस्वीड, (11) जीरा, (12) सफेद जीरे का बीज, (13) सौंफ का बीज, (14) मेथी का बीज, (15) सौंफ, (16) सोआ का बीज, (17) हींग, (18) अनार का बीज तथा (19) शोभांजन के निर्यात पर ही विचार किया जाएगा।"

3. लौंग और दालचीनी/तेजपात के आयात के लिए लाइसेंस देने के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 72-आईटी सी (पी एन)/90--93 दिनांक 12 अक्तूबर, 1990 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 12 अक्तूबर, 1990 के पैराग्राफ 2 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :--

"इस उपबंध के अंतर्गत लौंग और दालचीनी/तेजपात के लिए एक साथ जारी किए गए आयात लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) होगा। प्रत्येक मद के लिए आयात की हकदारी का निर्धारण अलग-अलग किया जाएगा। यदि किसी आयातक ने एक से अधिक मदों का आयात किया है तो एक संयुक्त लाइसेंस जारी किया जाएगा लेकिन मद तथा प्रत्येक मद का मूल्य अलग-अलग निर्दिष्ट किया जाएगा। जिन मामलों में आयातक ने पहले एक से अधिक मदों का आयात किया हो तथा प्रत्येक मद के 5 प्रतिशत के आधार पर लाइसेंस का मूल्य 5000 रुपये से कम हो तो 5,000 रुपये का एक लाइसेंस जारी किया जाएगा जिसमें 5,000 रुपये के कुल मूल्य में प्रत्येक वस्तु की हकदारी के आधार पर उसका अनुपातिक मूल्य निर्दिष्ट किया जाएगा। जहां पहले किसी एक ही वस्तु का आयात किया गया हो वहां केवल उसी वस्तु के लिए आयात लाइसेंस दिया जाएगा जिसका वास्तव में आयात किया गया था। आयातक प्रत्येक मद के लिए पृथक-पृथक् आधार अवधि का चयन कर सकते हैं। विगत आयातों के आधार पर मसालों के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदक की पात्रता का निर्धारण करने के लिए किए गए और अनुबंधित गोदामों में रखे गए आयातों और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से सरगीबद्ध मदों के उनके द्वारा किए गए आबंटन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"

4. आयात और निर्यात नीति में उक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेंद्र खन्ना,
मुख्य नियंत्रक (आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 77—ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 30th October, 1990

Subject : Import and Export Policy for April 1990—March 1993.

F.No. 1PC/4/10(30)/733/79-80/3026. —Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)—90-93 dated the 30th March 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1990—93 (Volum I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	53	Chapter XIII Items for Stock and Sale	In Paragraph 167 for the existing 6th sentence beginning with the words "Only exports of.....", and ending with the words "above purpose", the following shall be substituted: "Only exports of (1) Cardamom (small) (2) all spices/spice products in approved consumer packs of 500 gms. or less except spice oils and oleoresins and saffron (3) Herbal spices such as rosemary thyme terragon saga etc. (4) Vanilla (5) Black cumin (6) Star anise (7) Kokum (8) Garlic (9) Cardamom (large) (10) Bishopsweed (11) Caraway (12) Cumin seed (13) Fennel seed (14) Fenugreek seed (15) Aniseed (16) Dill seed (17) Asafoetida (18) Pomegranate seed, and (19) Horse-radish will be taken into account for the above purpose."

3. Attention is also invited to the Ministry of Commerce Public Notice No.72-ITC(PN)/90—93 dated the 12th October 1990 regarding grant of licences for import of Clovs and Cinnamon/Cassia. In paragraph 2 of the aforesaid Public Notice dated the 12th October 1990 the following shall b added at the end :

"Import licences for Cloves and Cinnamon/Cassia taken together issued under this provision will have a minimum value of Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand). Import entitlement for each item will be

worked out separately. If any importer has imported more than one item, one combined licence will be issued but the item and value for each item would be indicated separatly. In cases where the importer had past imports for more than one item and value of the licence on the basis of 5 per cent of each of the item works out to less than Rs. 5,000/- a licence Rs. 5 000/- will be issued indicating the proportionate value of each item worked out on the basis of their entitlement within the overall value of Rs. 5,000/-. Where the past import was for any one of the items impot licence will be granted only for the item which was actually imported. The importer can choose separate base period for each item. For determining the entitlement of the applicant for grant of licence for spices based on past imports, imports made and kept in bonded warehouse and allotment by the State Trading Corporation of India Limited when the items were canalised through them in the past will not be taken into account.

4. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA,
Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990